कार्यालय वन संरक्षक आगरा वृत्त, आगरा

पत्रांक– /14–1 दिनांकः आगरा 28 सितम्बर,2016

सेवा में,

गुख्य वन संरक्षक,/ नोडल अधिकारी
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:– 765 के०वी० सिंगल सर्किट मैनपुरी–बारा पारेषण लाईन सर्किट–1 के निर्माण कार्य हेतु 19,474 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:– आपका पत्रांक 2520/11–सी–PP/UP/Trans/15538/2015, दिनांक 26.06.2016 एवं प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मैनपुरी का पत्र सं० 647/14–1 दिनांक 24.09.23016

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा उक्त विषयक प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का निस्तारण कर प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मैनपुरी ने अपने पत्र सं० 647/14–1 दिनांक 24.09.2016 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है जिसका बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार से आपकी सेवा में निर्धारित प्रारूप में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

Obser. no.	Observation	Reply
1.	2.	3.
1.	ऑन लाईन इन्ट्री के भाग–1 व भाग–2 में जनपद–औरेया एवं मैनपुरी से सम्बन्धित सूचनाएँ संलग्न नहीं की गई है। भाग–1, भाग–2 पूर्ण संलग्न करें।	प्रभाग से सम्बन्धित समस्त सूचनाये पूर्ण कर संलग्न है।
2.	ऑन लाईन इन्ट्री के भाग–1 में औरेया जनपद में प्रस्तावित वनभूमि 0.2176 अंकित की गई है परन्तु भाग–2 में 0.1024 अंकित्त किया गया है सही स्थिति अपलोड करें।	प्रभाग से अपेक्षित है।
3.	एफ०आर०ए०–2006 अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र में औरेया, मैनपुरी व कानपुर देहात में पत्रांक अंकित नही है।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र पर पत्रांक अंकित कर संलग्न है।
4.	मक डिस्पोजल योजना मैनपुरी के अतिरिक्त अन्य जनपदों की संलग्न करें।	प्रभाग से अपेक्षित नहीं है।
5.	Cost Benefit Analysis निर्धारित प्रारूप में संलग्न नहीं है।	Cost Benefit Analysis निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर प्रेषित है।
6.	समस्त जनपदों में अपलोड किये गये वृक्षों की सूची अलग से सलग्न की गई वृक्षों की सूची में समानता नहीं है, स्पष्ट करें। जनपदवार पारेषण लाईन में आने वाले कुल वृक्षों की सूची जिनका पतन किया जाना है अलग–अलग संलग्न करें।	प्रभाग के अन्तर्गत कुल बाधक वृक्षों की सूची एवं पतन किये जाने वाले वृक्षों की सूची अलग अलग संलग्न है।
7.	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट समस्त जनपदों की संलग्न की गई है परन्तु उक्त रिपोर्ट पर सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के सील सहित हस्ताक्षर नहीं है।	सम्बन्धित अभिलेखों पर हस्ताक्षर कर सील लगा दी गई है।
8.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इलाहाबाद द्वारा 14.84 का दुगना चयनित किया गया हे जबकि इलाहाबाद में आरक्षित वनभूमि भी प्रभावित हो रही है। स्थिति स्पष्ट करें, क्योंकि आरक्षित वनभूमि के विरूद्ध प्रयोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली समतुल्य भूमि 14.411 हे० पर क्षतिपूरक किया जाना होगा। अन्य जनपदों की चयनित भूमि प्रस्ताव में एक साथ लगाया जाए।	प्रभाग से अपेक्षित नहीं है।

9.	प्रयोक्ता द्वारा पृष्ठ 198 पर वचनबद्धता दी गई है वह त्रुटिपूर्ण है कृपया स्थिति स्पष्ट करें। प्रत्येक जनपद हेतु लीज पर दिये जाने की अवधि अलग अलग वर्षों हेतु दी गई है जो त्रुटिपूर्ण है कृपया स्थिति स्पष्ट करें।	प्रस्ताव से अपेक्षित नहीं है।
10.	समस्त अभिलेखों में प्रत्येक अभिलेख समस्त जनपदों के एक साथ लगाकर पृष्ठ संख्या कर प्रस्ताव संशोधित करें।	प्रस्ताव से अपेक्षित नहीं है।
11.	औरैया जनपद में 0.2176 हे0 संरक्षित वनभूमि प्रस्तावित हो रहीं हैं अथवा 0.1024 हे0 वनभूमि स्थिति स्पष्ट करते हुए जनपद औरैया के समस्त संलग्न अभिलेखों को संशोधित करें।	प्रस्ताव से अपेक्षित नहीं है।
12.	बौने औषधीय वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्लन समस्त जनपदों का प्राक्कलन संलग्न करें ।	बौने औषधीय वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्लन संलग्न है ।
13.	दुगने अवनत वनभूमि का प्राक्कलन सिर्फ इलाहाबाद जनपद का क्षेत्रिय वनाधिकारी के हस्ताक्षर से संलग्न किया गया है। प्रभागीय निदेशक से हस्ताक्षर सील सहित करायें, इसके अतिरिक्त अन्य जनपदों के भी संलग्न प्राक्कलन में सील सहित सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर करायें।	सम्बन्धित अभिलेखों पर हस्ताक्षर कर सील लगा दी गई है।
14.	प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के डिजिटल मैप पर (11 हे0) सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं।	प्रस्ताव से अपेक्षित नहीं है।
15.	गजट नोटिफिकेशन के समस्त संलग्नकों को प्रमाणित करायें।	सम्बन्धित अभिलेख प्रमाणित कर संलग्न है।
16.	समस्त अभिलेख जनपदवार लगाकर संशोधित कर समेकित प्रस्ताव प्रेषित करें।	प्रस्ताव से अपेक्षित नहीं है।

संलग्नक :— प्रस्ताव 03 प्रतियों में।

भवदीय

(विष्णु सिंह)
वन संरक्षक
आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक: 931 / . समदिनांकित:

प्रतिलिपि— प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी को उनके पत्र दिनांक 16.02.2016 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— प्रबन्धक, महा प्रबन्धक, साउथ ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रान्समिशन क0लि0 लखनऊ को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(विष्णु सिंह)
वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।